(ग) क्या तत्सम्बन्धी नियम केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों पर भी लागू होते हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो मुख्य अन्तर क्या है ;

(ङ) केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारियों ने अभारतीयों से विवाह किया है और उनकी उन अभारतीय पत्नियों/पतियों की संख्या कितनी है, जिन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली है और कितनों ने अभी तक ग्रहण नहीं की है तथा उन में से कितने अधिकारी वैदेशिक-कार्य/प्रतिरक्षा विभागों में काम करते हैं;

(च) क्या कारण है कि उन्होंने अभी तक भारतीय नागरिकता ग्रहण नहीं की ; और

(छ) वे अधिकारी इस समय किन-किन पदों पर हैं और वे किन-किन स्थानों पर तैनात हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) किसी अभारतीय नागरिक को भारतीय नागरिक से विवाह करने पर भारत की नागरिकता स्वत: प्राप्त नहीं हो जाती । उसे नागरिकता अधिनियम, 1955 के सम्बन्धित उपबन्धों के अधीन भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी पड़ती है ।

(ख) ऐसे व्यक्ति को समय-समय पर निवास अनुज्ञा पत्र की अवधि बढ़ा कर भारत में रहने की अनुमति दे दी जाती है ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) से (छ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Lifting of Emergency and D.I.R. in Tripura

965. **Shri Mohammad Ismail:**
Shri Ganesh Ghosh:
Shri P. K. Modak:
Shri Bhagaban Das:
Shri Jyotirmoy Basu:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government of Tripura have been asked to give their opinion on lifting of Emergency and the Defence of India Rules;

(b) if so, the opinion given by them; and

(c) if the opinion given is in favour of keeping the Emergency and D.I.R.. the grounds offered in support thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Emergency Commissioned Officers

967. **Shri Madhu Limaye:**
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri S. M. Banerjee:
Shri George Fernandes:
Shri S. K. Tapuriah:
Shri D. N. Patodia:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that advertisements were published in the newspapers saying that 20 per cent of the I.A.S. posts will be reserved for Emergency Officers who have obtained release from the Army or have been released;

(b) whether the age limit was relaxed for the benefit of these Officers;

(c) whether it is a fact that under the new rules relating to I.A.S. selections the percentage has been brought down to 15 per cent;

(d) whether this percentage has been enforced;